## न्यायालय न्यायनिर्यणन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री जगदीश प्रसाद गौड़

मुकदमा नम्बर : 11/2023 — आर.ए.एस

**श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।**

**बनाम**

**श्री विनोद कुमार पुत्र रामप्रसाद केडिया, मै0 केडिया साल्ट, गोपाल गौशाला के पास, झुन्झुनू।**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011**

**–निर्णय–** दिनांक : 27.01.2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी गोपाल गौशाला के पास, झुन्झुनू में मै0 केडिया साल्ट के नाम से दुकान है जहां वह काला नमक (केडिया) तैयार कर बेचान करता है। उसकी दुकान से काला नमक (केडिया) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिस–ब्राडेन्ड पाया गया है। अनावेदक ने लिखित जबाब पेश कर निवेदन किया कि उसकी दुकान से लिया गया सैम्पल में कोई कमी नही है। पैकिंग रैपर पर छपाई में त्रुटि होने के कारण सैम्पल मिस–ब्रान्डेड पाया गया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. /3476/एक्ट/2022/3543 दिनांक 19.12..2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ काला नमक (केडिया) मिस–ब्रान्डेड (Mis-branded Food) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 केडिया साल्ट पर काला नमक (केडिया) स्वयं तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ काला नमक (केडिया) मिस–ब्रान्डेड (Mis-branded Food) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद केडिया, मै0 केडिया साल्ट, गोपाल गौशाला के पास, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 5000/– पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

अति. जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested